National Consumer Convention
New Delhi, Dec. 19, 2021

CUTS International

Notify the Long Pending Front-Of-Pack Labelling Regulation

Charter of Consumer Demands

1. Earliest notification of Front of Package Labelling (FoPL) regulation.
2. Adopt simple, interpretive 'high in' style warning labels which has been established as the most reliable FoPL format that improves public health and aids all consumers (regardless of their age, literacy proficiency or socio-economic strata) to make healthier choices.
3. To reduce the risk for diet-related non-communicable diseases, consider a FoPL format that is based on a nutrient profile model that establishes scientific cut-offs/thresholds for critical nutrients of public health concern. Consider WHO SEARO as a model that is most relevant for India.
4. Support public education initiatives to stimulate consumer demand for the label and improve awareness and understanding, so as to ensure effective implementation once the regulations are in force.
5. Create a formal and comprehensive FoPL policy monitoring and evaluation programme to assess implementation and impact, once the regulation is notified.
6. Sensitise and build the capacity of State Food Safety Commissioners and Food Safety Officers on Front of Package Labelling.
7. Address the massive gap between the size of the food market and the regulators capacity to supervise and manage the sector.
8. On high priority address all concerns raised in the Comptroller and Auditor General of India report of the Implementation of Food Safety and Standards Act, 2006, conducted in 2017.

CUTS International

लम्बे समय से लंबित फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग नियमों को लागू किया जाए

उपभोक्ता मांगों का चार्टर

1. फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग (एफ.ओ.पी.एल.) नियमन की जल्द अधिसूचना जारी की जाए।
2. सरल, व्याख्यात्मक एवं चेतावनी पूर्ण लेबल (जैसे कि ज्यादा मात्रा) फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का विश्वसनीय प्रारूप है जो कि जन स्वास्थ्य में सुधार और सभी उपभोक्ताओं को (उनकी आयु, साक्षरता, कुशलता या सामाजिक–आर्थिक स्तर को ध्यान में रखे बिना) उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने का विकल्प है।
3. आहार से सम्बन्धित संक्रमित रोगों के जोखिम को कम करने के लिए फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग पोषक तत्व पर आधारित एक प्रारूप है जो कि जन स्वास्थ्य सम्बन्धित वैज्ञानित कट–ऑफ/थ्रैशाल्ड्स पर स्थापित है। डब्ल्यू.एच.ओ. सीरो के मॉडल पर भारत के संदर्भ में विचार करना चाहिए।
4. उपभोक्ताओं में लेबल की मांग एवं जागरूकता तथा समझ विकसित करने के लिए उन्हें शिक्षित करने की पहल करनी चाहिए।
5. नियम अधिसूचित होने के बाद, उसके क्रियान्वयन और प्रभाव का आंकलन करने के लिए एक औपचारिक और व्यापक फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग की निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रम बनाएं।
6. फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग पर राज्यों के खाद्य आयुक्तों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की क्षमता निर्माण करें और उन्हें संवेदनशील बनाएं।
7. खाद्य बाजार के आकार और नियमों की निगरानी और क्षेत्र का प्रबन्ध करने की क्षमता के बीच व्याप्त भारी अंतर का ध्यान रखें।
8. वर्ष 2017 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2007 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित सभी चिंताओं को उठाया गया हैं, उनके निराकरण के प्रयास सुनिश्चित होने चाहिए।